कार्यालय असि.रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल नर्मदापुरम संभाग
डी.ब्लॉक, पुराना सचिवालय भोपाल

भोपाल दिनांक 18/03/2024

कमांक/संशोधन/ 3351

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव ,
भंडारी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी
157, बड़ा बाजार, वार्ड नं. 02
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

विषयः– संस्था के ज्ञापन विधान में संशोधन बावत।
(भंडारी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी राजगढ़ पंजीयन कमांक/35138/2019 दिनांक 22.03.2019)

संदर्भः– आपका संशोधन प्रस्ताव दिनांक 11.03.2024

–00–

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अवलोकन करें। आपके चाहेनुसार संशोधन प्रस्ताव आज दिनांक....../03/2024 को पंजीकृत किया जाता है।

असि.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

3/4/23

21/3/2024

संशोधित ज्ञापन-पत्र

1. **संस्था का नाम :** भंडारी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी होगा।
2. **संस्था का कार्यालय** : 157, बड़ा बाजार, वार्ड नं. 02 नरसिंहगढ़, राजगढ़ 465669 तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ म0प्र0 होगा।

सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9993186222 ईमेल आईडी bhandarikidz@gmail.com

3. **समिति के उद्देश्य निम्न लिखित होंगे:–**

1. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हूए स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना व इनका विधिवत् संचालन करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षैत्र में कार्य करना एवं आम जन मानस को इसके लाभ से अवगत कराने हेतू योजनाऐं संचालित करना।
2. विभिन्न प्रकार के रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसेः– सिलाई, कढाई, क्राफ्ट, हथकरधा, हस्तशिल्प, जूट, जरी, जरदौजी, एम्बराइडरी, कम्पूटर शिक्षा व अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।
3. अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति व पिछडा वर्ग के उत्थान हेतू हर संभव कार्यक्रमों का संचालन करना। समाज उत्थान हेतू वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम आदि की स्थापना व संचालन करना।
4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य करना व नैत्र शिविर, ब्लड डोनेशन कैम्प, प्राकृतिक चिकित्सक शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन करना तथा घातक बीमारियों जैसे एड्स, टी. बी., कैंसर, कुपोषण आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना व योजनाओं का संचालन करना।
5. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतू उनको रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण देना व उनके शिक्षा के स्तर को बढावा देने हेतू कार्य करना।
6. सामाजिक कुरूतियों जैसे जातिपात, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, नशामुक्ति, अंधविश्वास, लिंगभेद आदि को जड़ से मिटाने हेतु समाज में जागरूकता लाना व योजनाओं का संचालन करना।
7. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, प्रदुषण की रोकथाम आदि हेतु लोगों को जागरूक करना व प्रचार प्रसार करना। कृषकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उन्नत व आधुनिक कृषि हेतु प्रशिक्षण देना।
8. गरीब परिवारों एवं गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मुहैया कराना एवं उनके लिए समय समय पर झुग्गी बस्ती जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य कैम्पों, शिविरों का अयोजन करना एवं उनका क्रियान्वयन करना।
9. देश की अखण्डता, एकता सम्प्रभुता के लिए कार्य करना व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महापुरुषों की जयंति का आयोजन करना एवं मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लाना।

35138
22/3/19
संशोधन 18/3/24
असि. रजिस्ट्रार

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

2

10. प्राकृतिक आपदायें जैसे भुकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, आग आदि के प्रकोपों से पीडीत व्यक्तियों के लिए हर संभव सहायता करना।

11. खेलकूद, योग, व्यायाम, साधना आदि के क्षेत्रों में कार्य करना। बाल युवा, महिला, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु कार्य करना।

12. विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष विद्यालय का संचालन कर सकेंगे। निःशक्त जन, मंदबुद्धि, मानसिक विकलाग आदि लोगों के उत्थान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना व उनकों स्वास्थय व शिक्षा का लाभ देना।

13. समाज के प्रत्येक वर्ग को बीमारियों, मधपान निषेध, दिव्यांगता पुनर्वास, शिक्षा, एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

14. गरीब, असहाय, विकलांग, अनुसूचित जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्ग वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक सामाजिक व्यवसायिक, पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण परियोजना का संचालन करना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या अन्य किसी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :-

35138

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1.	चिन्मय भंडारी	श्री गिरीश भंडारी	अध्यक्ष	157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	व्यवसाय
2.	साक्षी भंडारी	श्री कमल भंडारी	उपाध्यक्ष	157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	गृहणी
3.	जया भंडारी	श्री गिरीश भंडारी	सचिव	157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	गृहणी
4.	कमल भंडारी	श्री बंसत कुमार भंडारी	कोषाध्यक्ष	157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	व्यवसाय
5.	सुरेश वैष्णव	श्री राधेश्याम वैष्णव	संचालक	13, वार्ड नं. 11, पाल रोड़, नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	व्यवसाय
6.	सुजीत मालवीय	श्री रमेश चन्द्र मालवीय	सदस्य	157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	कृषि /व्यवसाय
7.	अतुल शिवहरे	श्री प्रेम शिवहरे	सदस्य	16, गुरुकृपा मोटर्स, ब्यावरा रोड़, बाराद्वारी, नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	व्यवसाय

रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/03/19 ... 18/3/21

पंजीयन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शित यह तथ्य प्रमाणित किये जाते हैं।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 {1973 की 44 }की धारा 5 की उपधारा {1}के अधीन अपेक्षित है । संलग्न है हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम व पते	हस्ताक्षर
1.	चिन्मय भंडारी, श्री गिरीश भंडारी, 157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
2.	साक्षी भंडारी, श्री कमल भंडारी, 157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
3.	जया भंडारी, श्री गिरीश भंडारी, 157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
4.	कमल भंडारी, श्री बंसत कुमार भंडारी, 157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
5.	सुरेश वैष्णव, श्री राधेश्याम वैष्णव, 13, वार्ड नं. 11, पाल रोड़, नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
6	सुजीत मालवीय, श्री रमेश चन्द्र मालवीय, 157, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–
7.	अतुल शिवहरे, श्री प्रेम शिवहरे, 16, गुरुकृपा मोटर्स, ब्यावरा रोड़, बारादारी, नरसिंहगढ़, Narsnghgarh, Rajgarh, Madhya Pradesh	–एस.डी.–

फाइल क्रमांक 3201
दिनांक 18/3/24 प्रस्तुत किया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है
जारी होने के दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर – –एस.डी.–

साक्षी का नाम :– Arav Mehar

साक्षी का पिता/पति :– MR. Anil Mehar

पूर्ण पता :– 18/5 OLD SUBHASH NAGAR BHOPAL M.P.

T.C

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 35138
रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/3/19
संशोधन दिनांक 18/3/24

(संजय दीक्षित)
अधि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

रजिस्ट्रार

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CK 863517

CANCELLED
निरस्त

... आवेदन/विधान की प्रतिलिपि
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम [illegible]
पंजी क्रं.............दिनांक 22/3/2019
35138

Registrar ... Bhopal

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : भंडारी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी होगा।
2. संस्था का कार्यालय : 157, बड़ा बाजार, वार्ड नं. 02 नरसिंहगढ़, राजगढ़ 465669 तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ म0प्र0 में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्न लिखित होंगे:–
   1. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हूए स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना व इनका विधिवत् संचालन करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षैत्र में कार्य करना एवं आम जन मानस को इसके लाभ से अवगत कराने हेतू योजनाऐं संचालित करना।
   2. विभिन्न प्रकार के रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे:– सिलाई, कढाई, क्राफ्ट, हथकरधा, हस्तशिल्प, जूट, जरी, जरदौजी, एम्बराइडरी, कम्पूटर शिक्षा व अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।
   3. अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति व पिछडा वर्ग के उत्थान हेतू हर संभव कार्यक्रमों का संचालन करना। समाज उत्थान हेतू वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम आदि की स्थापना व संचालन करना।
   4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य करना व नैत्र शिविर, ब्लड डोनेशन कैम्प, प्राकृतिक चिकित्सक शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन करना तथा घातक बीमारियों जैसे एड्स, टी. बी., कैंसर, कुपोषण आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना व योजनाओं का संचालन करना।
   5. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतू उनको रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण देना व उनके शिक्षा के स्तर को बढावा देने हेतू कार्य करना।
   6. सामाजिक कुरूतियों जैसे जातिपात, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, नशामुक्ति, अंधविश्वास, लिंगभेद आदि को जड़ से मिटाने हेतु समाज में जागरूकता लाना व योजनाओं का संचालन करना।
   7. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, प्रदुषण की रोकथाम आदि हेतु लोगों को जागरूक करना व प्रचार प्रसार करना। कृषकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उन्नत व आधुनिक कृषि हेतु प्रशिक्षण देना।
   8. गरीब परिवारों एवं गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मुहैया कराना एवं उनके लिए समय समय पर झुग्गी बस्ती जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य कैम्पों, शिविरों का अयोजन करना एवं उनका क्रियान्वयन करना।

पंजीयन क्रमांक 35138 22/3/19 संशोधन दिनांक 18/4/24

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

9. देश की अखण्डता, एकता सम्प्रभुता के लिए कार्य करना व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महापुरुषों की जयंति का आयोजन करना एवं मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लाना।

10. प्राकृतिक आपदायें जैसे भुकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, आग आदि के प्रकोपों से पीडीत व्यक्तियों के लिए हर संभव सहायता करना।

11. खेलकूद, योग, व्यायाम, साधना आदि के क्षेत्रों में कार्य करना। बाल युवा, महिला, वृद्ध व्यक्तियों के ज़ीवन को बेहतर बनाने हेतु कार्य करना।

12. विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष विद्यालय का संचालन कर सकेंगे। निःशक्त जन, मंदबुद्धि, मानसिक विकलाग आदि लोगों के उत्थान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना व उनकों स्वास्थय व शिक्षा का लाभ देना।

13. समाज के प्रत्येक वर्ग को बीमारियों, मधपान निषेध, दिव्यांगता पुनर्वास, शिक्षा, एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

14. गरीब, असहाय, विकलांग, अनुसूचित जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्ग वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक सामाजिक व्यवसायिक, पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण परियोजना का संचालन करना।

5. **सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखिन प्रवर्गों के होंगें:–.**

(क) **संरक्षक सदस्य :–** वह व्यक्ति जो रूपये 51,000/– या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) **आजीवन सदस्य :–** वह व्यक्ति जो रूपए 10,000/– या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) **साधारण सदस्य :–** वह व्यक्ति जो रूपए 500/– प्रतिमाह रूपए 6000/– प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह अंशदान करेगा।

(घ) **अवैतनिक सदस्य :–** सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति :–** प्रत्येक व्यक्ति को जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रुप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता :–** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है :–

1. आयु 18 साल से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सच्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नं. 35138
रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/3/19
संशोधन दिनांक 18/3/24

8. **सदस्यता की समाप्ति :–** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त की जावेगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर।

सहा. रजिस्ट्रार

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्योरे दर्ज किये जावेगें :—

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नम्बर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. अ. साधारण सभा :— साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवित निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा :— प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना, बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक मे कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

स. विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 3518
रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/3/19
संशोधन दिनांक 18/3/24
स्थानीय रजिस्ट्रार

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :—

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
ग. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पंत्रकों को स्वीकृत करना।
छ. बजट का अनुमोदन करना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

12. प्रबंधकारिणी का गठन :– नियम 5 ((अ).(ब).(स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1) अध्यक्ष –1, (2) उपाध्यक्ष–1, (3) सचिव –1, (4) कोषाध्यक्ष –1, (5) संयुक्त सचिव–1, (6)सदस्य –2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–
(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन का साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अंचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षको आदि की नियुक्ति करना।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।
(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरिक नहीं दी जाएगी।
(ज) नियमानुसार सोसायटी द्वारा भूमि / चल–अचल संपत्ति अर्जित, क्रय– विक्रय, लीज़ पर अथवा दान में प्राप्त की जा सकती है भूमि/चल अचल सम्पत्ति तथा उस पर भवन निर्माण आदि कार्य के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सोसायटी की संपत्ति को सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बंधक भी रखा जा सकता है एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू बैंक गारंटी, सी.सी./ऑ.डी. लिमिट एवं अन्य बैंकिंग सुविधाओं को संस्था हित में प्राप्त करना।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 35138
रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/3/19
नवीनीकरण दिनांक 18/3/24
सहायक रजिस्ट्रार

15. अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव :– एक समय में रू. 50,000/– तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. बैंक खाता :– सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस/प्रायवेट बैंक में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष तथा सचिव/कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 50,000/– रहेंगे।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 35188
रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/3/19
संशोधन दिनांक 18/3/21
अप्रि. रजिस्ट्रार

24. संपत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या आंतरित नहीं की जा सकेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. विवाद :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

320/–

शुल्क रुपये ... 18/7/24 ... चालान क्र./रसीद क्र. ...
दिनांक ... द्वारा पटाया गया है। यह मूल अभिलेख की प्रमाणित प्रति है

सचिव

कोषाध्यक्ष

(संजय सोनी)
अप्रि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

पंजीयक के हस्ता...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CA 163518

CANCELLED
निरस्त

...पत्र ज्ञापन/विधान की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्नी स्टाम्प पेपर संख्या
का नाम...............
पंजी क्रं...............दिनांक...2/3/2019
35138

सहायक के हस्ताक्षर